एनकोरा और बड़े सौदों पर निर्भर करेगी कोफोर्ज की रफ्तार

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 17 जून

तेज रफ्तार की जरूरत

- सौदों को लंबे समय की वृद्धि में बदलने पर निर्भर करेगा अगला चरण
- इस शेयर का निफ्टी आईटी सूचकांक की तुलना में बेहतर प्रदर्शन। पिछले तीन महीनों में दिया है 35 प्रतिशत रिटर्न
- कंपनी को मिलने वाले बड़े सौदों की संख्या 2021-22 के 11 से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 21 हो गई
- पिछले चार साल में ऑर्डर की रफ्तार लगभग दोगुनी हुई

मझोले आकार की प्रमुख आईटी कंपनी कोफोर्ज अगले चार साल में अपना राजस्व दोगुना करने की योजना बना रही है। सिलिकन वैली की डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी एनकोरा के अधिग्रहण को मिलाकर उसका राजस्व इस समय 2.5 अरब डॉलर है। कंपनी वित्त वर्ष 2030 तक 5 अरब डॉलर के आंकड़े का लक्ष्य रख रही है। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2030 के दौरान सालाना वृद्धि दर 19 प्रतिशत रहना चाहिए जबकि इसी अवधि में आंतरिक स्तर पर 15 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

हालांकि कंपनी ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन वृद्धि के लिए एनकोरा के अधिग्रहण को पूरी तरह से शामिल करना, बड़े सौदों पर जोर देना और एआई से जुड़े मौकों का फायदा उठाना अहम होगा। यह शेयर इस समय 1,465 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है और इसने निफ्टी आईटी सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन किया है। शेयर ने पिछले तीन महीनों में 35 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इन स्तर से आगे की बढ़त इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी अपने तय लक्ष्यों को कितना पूरा कर पाती है।

कंपनी उम्मीद कर रही है कि आगे चलकर उसकी वृद्धि आंतरिक स्रोतों के जरिये विस्तार और अधिग्रहण से होगी। इसमें ग्राहकों से ज्यादा बिजनेस हासिल करना, बड़े सौदों का आकार बढ़ाना, बड़े सौदों की रफ्तार बनाए रखना और मौजूदा ग्राहकों के बीच अपनी पैठ मजबूत करना शामिल होगा।

कंपनी को मिले बड़े सौदों से भविष्य में अच्छी कमाई की उम्मीद है। बड़े सौदों की संख्या 2021-22 के 11 से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 21 हो गई है, जबकि इस दौरान 12 महीने में पूरी की जाने वाले ऑर्डर बुक का आकार 72 करोड़ डॉलर से बढ़कर 175 करोड़ डॉलर हो गया है। कंपनी के प्रबंधन ने बताया कि पिछले चार साल में ऑर्डर मिलने की रफ्तार लगभग दोगुनी हो गई है।

सेंट्रम रिसर्च के विश्लेषक पीयूष पांडे और हीत शाह ने कहा कि कोफोर्ज की वृद्धि की उम्मीदें मजबूत बनी हुई हैं। उसे मजबूत ऑर्डरों और 1.75 अरब डॉलर के काम वाली ऑर्डर बुक, जो सालाना आधार पर 16.4 प्रतिशत बढ़ी है, का सहारा मिल रहा है। साथ ही पूरक सौदों से और बढ़त की संभावना है।

मोतीलाल ओसवाल रिसर्च के विश्लेषक अभिषेक पाठक और केवल भगत का मानना है कि कोफोर्ज का मार्जिन प्रोफाइल पहले के मुकाबले ढांचागत रूप से ज्यादा मजबूत दिख रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बिक्री क्षमता, एआई परिसंपत्तियों, साझेदारी और प्रतिभा में लगातार निवेश की वजह से मार्जिन में बढ़ोतरी शायद एक समान न हो। बेहतर होते मार्जिन प्रोफाइल, मजबूत सौदे मिलने और लगातार बेहतर वृद्धि को देखते हुए ब्रोकरेज ने इस शेयर को 1,900 रुपये के कीमत लक्ष्य के साथ 'खरीदें' रेटिंग दी है।

कंपनी अलग-अलग क्षेत्रों में वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने और काम करने के तरीके बेहतर बनाने के लिए एआई सॉल्युशन का भी इस्तेमाल कर रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बताया है कि कोफोर्ज ने अपने सभी सॉल्यूशन में 'एजेंटिक एआई' को शामिल करके अपनी सेवाओं और उत्पादों को नए सिरे से तैयार किया है। ब्रोकरेज फर्म में विश्लेषक रुचि मुखीजा के मुताबिक इससे राजस्व में कमी तो आ रही है, लेकिन साथ ही एआई-आधारित एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस, टेक्नॉलजी को मॉडर्न बनाने और एआई-अनुकूल उत्पाद इंजीनियरिंग जैसे नए क्षेत्रों में राजस्व भी बढ़ रहा है। ब्रोकरेज ने 1,690 रुपये के कीमत लक्ष्य के साथ इस शेयर पर 'खरीदें' रेटिंग बनाए रखी है।

आरआईएल की 49वीं एजीएम में

जियो के आईपीओ और डेटा सेंटर रणनीति पर रहेगी बाजार की नजर

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 17 जून

विश्लेषकों का मानना है कि 19 जून को रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) की 49वीं सालाना आम बैठक (एजीएम) में बाजार की नजर रिलायंस जियो इन्फोकॉम के आईपीओ और एआई तथा डेटा सेंटर पर कंपनी की रणनीति पर रहेगी।

उनका कहना है कि लाभांश नीति, हाल के पूंजीगत खर्च चक्र के बाद कर्ज घटाने, दूरसंचार शुल्क की दिशा और अगली पीढ़ी के नेतृत्व ढांचे पर ज्यादा स्पष्टता से मध्यम अवधि में संचालन की दिशा तय होगी। भारी भरकम निवेश के दौर के बाद निवेशकों की पूंजीगत रिटर्न के मामले पर भी बारीकी से नजर रहेगी।

आईएनवीऐसेट पीएमएस के पार्टनर और फंड मैनेजर अनिरुद्ध गर्ग के अनुसार बाजार ने 2026-27 में बड़े पैमाने पर आईपीओ राशि को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर ली है। ऐसे में आगामी एजीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगी जिसमें प्रबंधन आईपीओ की समय-सीमा, लिस्टिंग के ढांचे (केवल भारत में या बाहर भी), मूल्यांकन का मोटा नजरिया और आईपीओ से पहले किसी भी तरह के पुनर्गठन की रूपरेखा पेश कर सकता है। उनका मानना है कि इन पहलुओं पर स्पष्ट अनुमान इस शेयर के लिए सबसे बड़े उत्प्रेरक हो सकते हैं।

गर्ग ने कहा, '6 से12 महीने के नजरिये से देखें तो आरआईएल के शेयर को एजीएम से पहले एकबारगी खरीदने के बजाय किसी खास घटनाक्रम के आधार पर धीरे-धीरे खरीदने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। रणनीति यह होनी चाहिए कि अभी तय निवेश का 40-50 प्रतिशत हिस्सा खरीदा जाए और बाकी हिस्सा या तो कीमत गिरने पर या एजीएम से ज्यादा स्पष्टता मिलने के बाद खरीदने के लिए रखा जाए। शेयर के लिए मुख्य ट्रिगर जियो आईपीओ की समय-सीमा, रिटेल लिस्टिंग के क्रम, नई ऊर्जा परियोजनाओं के शुरू होने की प्रगति और पूंजी आवंटन में अनुशासन पर औपचारिक बयान रहेंगे।' एस इक्विटी के डेटा के अनुसार शेयर बाजार में आरआईएल का प्रदर्शन कमजोर रहा है। कैलेंडर वर्ष 2026 में अब तक कंपनी के शेयर में लगभग 15 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इस दौरान निफ्टी 50 में करीब 8 प्रतिशत और निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 7.7 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।

सीएलएसए के अनुसार आरआईएल की सालाना रिपोर्ट में कंपनी की एआई सुविधाओं का फायदा उठाने की महत्त्वाकांक्षा, डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाने की योजना और नई ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर जोर दिया गया है। उसने आरआईएल के शेयर के लिए 12 महीने का कीमत लक्ष्य 1,800 रुपये तय किया है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 35 प्रतिशत ज्यादा है।

डेटा सेंटर व्यवसाय

रिपोर्टों के मुताबिक रिलायंस जियो इन्फोकॉम जल्द ही अपने संभावित 4 अरब डॉलर के आईपीओ के लिए मसौदा पत्र जमा कर सकती है। इससे पहले जून में कंपनी ने जामनगर में 168 मेगावॉट क्षमता की डेटा सेंटर परियोजना के लिए मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ एक समझौता किया था।

'बैलेंस शीट में पारदर्शिता के लिए सीएफओ जिम्मेदार'

कृति अंबे
नई दिल्ली, 17 जून

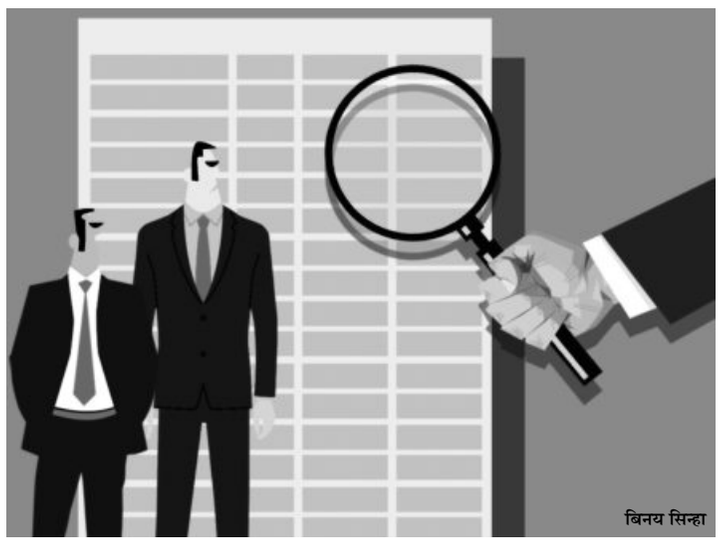

वित्तीय अनियमितता पर सख्ती

- एनएफआरए अध्यक्ष ने कहा कि जिन कंपनियों में कॉरपोरेट फर्जीवाड़ा हुआ उनकी बैलेंसशीट भी बाहर से साफ-सुथरी दिखती थी
- ऐसी कंपनियों में राजेश एक्सपोर्ट्स का नाम भी शामिल है जिसमें कथित वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई है
- गुप्ता ने कहा कि कंपनियों के सीएफओ ने इनके खातों को पूरे पारदर्शी तरीके से पेश नहीं किया

नैशनल फाइनैंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने बुधवार को कहा कि कंपनियों का वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) जिम्मेदार होते हैं और उनकी अपनी कंपनियों की वित्तीय स्थिति को पारदर्शी तरीके से पेश करने की जवाबदेह होती है। उन्होंने स्वतंत्र भारत में 1950 के दशक से लेकर हाल में राजेश एक्सपोर्ट्स में हुई वित्तीय अनियमितता का जिक्र करते हुए यह बात कही।

सेबी ने उचित कार्रवाई के लिए 3 जून को राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े मामले को एनएफआरए को सौंप दिया था। गुप्ता ने कहा कि जिन कंपनियों में कॉरपोरेट फर्जीवाड़ा हुआ, जिनमें राजेश एक्सपोर्ट्स भी शामिल है, उनकी बैलेंसशीट भी बाहर से साफ-सुथरी दिखती थी, लेकिन बाद में कमियां सामने आईं। इसका कारण यह था कि कंपनी के सीएफओ ने खातों को पारदर्शी तरीके से पेश नहीं किया।

नितिन गुप्ता ने कहा कि भारत में कॉरपोरेट घोटालों का इतिहास भी अन्य देशों की तरह ही गंभीर रहा है। उन्होंने 1956 के हरिदास मूंदड़ा घोटाले से लेकर अभी के राजेश एक्सपोर्ट्स मामले का जिक्र किया। वित्तीय प्रशासन से जुड़े भविष्य विषय पर आयोजित एसोचैम के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीएफओ वित्तीय प्रशासन को बेहतर बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं।

गुप्ता ने कहा कि बड़ी समस्या क्रिएटिव अकाउंटिंग से जुड़ी है जिसमें कई चीजों का खुलासा नहीं किया जाता। उन्होंने कहा, 'खातों को तैयार करने वाले लोग अक्सर जानते हैं कि असल स्थिति क्या है, लेकिन उन्हें सही और पारदर्शी तरीके से नहीं बताया जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीएफओ में यह साहस और क्षमता होनी चाहिए कि वे पारदर्शिता के साथ वित्तीय जानकारी पेश करें।'

राजेश एक्सपोर्ट्स देश में हाल में कॉरपोरेट प्रशासन की नाकामी का ताजा उदाहरण बनकर सामने आई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी की जांच शुरू की है और आरोप लगाया है कि ज्वेलरी निर्माता कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच अपनी कुल आय को लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया।

फोरेंसिक जांच के बाद सेबी के एक अंतरिम आदेश से पता चला कि इस अवधि के दौरान कंपनी की ओर से रिपोर्ट की गई लगभग 99 फीसदी आमदनी, उसकी विदेशी सहायक कंपनियों से दिखाई गई थी जबकि उनके अलग-अलग वित्तीय खातों में वास्तविक आय बहुत कम थी।

गुप्ता ने यह नहीं बताया कि एनएफआरए क्या कदम उठाएगा। बुधवार को खबर लिखे जाने तक राजेश एक्सपोर्ट्स को भेजे गए मेल का कोई जवाब नहीं मिला।

नितिन गुप्ता ने यह भी कहा कि कुछ कंपनियों की जटिल संरचनाएं ऐसे वित्तीय लेन-देन को आसान बनाती हैं जिनका कोई वास्तविक व्यापारिक उद्देश्य नहीं होता। उनके अनुसार कई मामलों में पूंजी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बिना उचित कारोबारी कारण के भेजी जाती है।

बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी, सेंसेक्स 347 अंक चढ़ा

भाषा
मुंबई, 17 जून

अमेरिका-ईरान शांति समझौते की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी और निवेशक धारणा में सुधार से घरेलू शेयर बाजार बुधवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 347 अंक और निफ्टी में 96 अंक की तेजी दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 347.14 अंक यानी 0.45 प्रतिशत चढ़कर 77,155.62 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 410.51 अंक यानी 0.53 प्रतिशत बढ़कर 77,218.99 अंक तक पहुंच गया था।

एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 96.55 अंक यानी 0.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,085.70 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 119.05 अंक बढ़कर 24,108.20 अंक तक चला गया था। सेंसेक्स की कंपनियों में ट्रेंट के शेयर में सर्वाधिक 7.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा स्टील, इन्फोसिस, टाइटन और भारती एयरटेल में भी तेजी रही। दूसरी तरफ बजाज फिनसर्व, ,ऐक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा का शेयर गिरावट के साथ बंद हुआ। यह घरेलू बाजारों में तेजी का लगातार चौथा कारोबारी सत्र रहा। इस दौरान सेंसेक्स में कुल 3,323.07 अंक यानी 4.50 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है जबकि निफ्टी 924.10 अंक यानी 3.98 प्रतिशत चढ़ा है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्रा ने कहा, 'अनुकूल वैश्विक संकेतों और तमाम क्षेत्रों में लिवाली जारी रहने से शेयर बाजार लगातार चौथे दिन तेजी के साथ बंद हुए। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रहने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मौद्रिक रुख स्थिर रखने के अनुमान से भी निवेशक धारणा को समर्थन मिला।'

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड करीब 79.10 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। मझोली कंपनियों का बीएसई मिडकैप सूचकांक 1.20 प्रतिशत चढ़ गया जबकि छोटी कंपनियों के स्मॉलकैप में 0.31 प्रतिशत की तेजी रही। क्षेत्रवार सूचकांकों में पूंजीगत उत्पाद खंड में सर्वाधिक 2.76 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई जबकि औद्योगिक खंड में 1.83 प्रतिशत, पीएसयू बैंक में 1.80 प्रतिशत और टिकाऊ उपभोक्ता खंड में 1.39 प्रतिशत की तेजी रही। बीएसई पर सूचीबद्ध कुल 2,404 शेयर चढ़कर बंद हुए जबकि 1,876 शेयरों में गिरावट रही और 163 अन्य अपरिवर्तित रहे।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, 'होर्मुज स्ट्रेट के आसपास भू-राजनीतिक तनाव कम होने और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है।' एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और चीन का शांघाई कम्पोजिट बढ़त में रहे, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोप के बाजारों में दोपहर के कारोबार में मिला-जुला रुख था।

बीएसई की कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 17 जून

बुधवार को बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण (एमकैप) 8 मई के बाद पहली बार 5 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच गया। यह बढ़त कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण उम्मीदें बढ़ने से आई है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए सहमति बनने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का रुख है।

इन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 8 मई के बाद पहली बार इस आंकड़े के पार गया है

बुधवार को बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 5.03 लाख करोड़ डॉलर था। कच्चा तेल 79.32 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। पिछले छह सत्रों में इसमें 15.5 फीसदी की गिरावट आई है।

यह बढ़त मिड और स्मॉलकैप सेगमेंट में आई तेजी और पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक संकट के स्थायी समाधान को लेकर हालिया उम्मीदों की वजह से हुई है। सेंसेक्स अपने अब तक के सबसे ऊंचे बंद स्तर से 10.1 प्रतिशत और निफ्टी 8.5 प्रतिशत दूर है।

वहीं निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक अपने नए ऊंचे बंद स्तर से 0.7 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 5.3 फीसदी दूर है। डॉलर के हिसाब से कुल बाजार पूंजीकरण 375 अरब डॉलर है, जो 4 जुलाई, 2025 को बने अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर से 7 प्रतिशत कम है।

अमेरिका और ईरान अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए एक रूपरेखा पर सहमत हुए हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत के लिए 60 दिन का समय मिला है।

इसके अलावा, समझौते के तहत अमेरिका ईरान के खिलाफ नाकेबंदी खत्म करेगा और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाएगा, जो तेल आपूर्ति का अहम रास्ता है।

बुधवार को शेयर बाजार का रुख मजबूत बना रहा। 2,323 शेयरों में बढ़त हुई और 1,956 शेयरों में गिरावट आई। निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक में 0.52 फीसदी की उछाल आई और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.79 फीसदी की तेजी दर्ज की गई।

सेबी अनधिकृत मंचों पर शेयरों की खरीद-बिक्री को लेकर सतर्क

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक मंचों या वेबसाइट के जरिये गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक हिस्सेदारी वाली कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री को लेकर निवेशकों को बुधवार को आगाह किया। सेबी ने कहा कि ऐसे मंच न तो मान्यता प्राप्त हैं और न ही नियामक के अधीन आते हैं।

सेबी ने बताया कि उसे कुछ ऐसे ऑनलाइन मंचों का पता चला है जो गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक हिस्सेदारी वाली कंपनियों की प्रतिभूतियों में लेनदेन की सुविधा दे रहे हैं, जिससे निवेशकों को बड़ा जोखिम हो सकता है। सेबी ने बयान में दिसंबर 2024 और अगस्त 2016 में जारी अपनी पुरानी चेतावनियों को दोहराते हुए कहा कि ऐसे मंच पर लेनदेन करना या संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित नहीं है। नियामक ने बताया कि उसने पहले भी ऑनलाइन 'ट्रेडिंग' मंच, फैंटेसी गेम्स और गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से जुड़े मंच को लेकर आगाह किया है। सेबी ने कहा, 'निवेशकों को एक बार फिर आगाह किया जाता है कि वे ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मंच पर लेनदेन या 'ट्रेडिंग' न करें और न ही अपनी निजी जानकारी साझा करें, क्योंकि ये मंच सेबी द्वारा अधिकृत या नहीं हैं।' *भाषा*

NSE

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: एक्सचेंज प्लाजा, सी-१, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१, महाराष्ट्र, भारत

सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के विनियम ३२(३) के अंतर्गत इक्विटी शेयरों की अनिवार्य असूचीबद्धता के संबंध में सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ ('असूचीबद्धता विनियम') के विनियम ३२(३) तथा सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) अधिनियम, १९५६ की धारा २१ए के अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एक्सचेंज") के नियमों, उप-विधियों तथा विनियमों के अनुसार, एतद्द्वारा **सूचित किया जाता है कि** एक्सचेंज निम्नलिखित कंपनी के इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखता है। उक्त कंपनी अपनी प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा कर चुकी है, अर्थात् उसकी प्रतिभूतियों में कारोबार सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५ के विभिन्न प्रावधानों तथा सेबी/एक्सचेंज द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन न करने के कारण छह माह से अधिक समय से निलंबित है।

एक्सचेंज ने अपने अभिलेखों में उपलब्ध अंतिम ज्ञात पते तथा पंजीकृत ई-मेल पते पर कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि कंपनी के इक्विटी शेयरों को एक्सचेंज से अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध क्यों न किया जाए। सहज फैशन्स लिमिटेड को २७ अप्रैल २०२६ को ई-मेल द्वारा भेजा गया **कारण बताओ नोटिस** एक्सचेंज के पास उपलब्ध ई-मेल आईडी पर सुपुर्द कर दिया गया। परंतु सहज फैशन्स लिमिटेड को २७ अप्रैल २०२६ को उसके पंजीकृत पते पर कूरियर के द्वारा भेजा गया नोटिस अनडिलीवर्ड वापस आ गया। कंपनी का नाम तथा एक्सचेंज के अभिलेखों के अनुसार अंतिम ज्ञात पता निम्नलिखित है:

अनु. क्र.	कंपनी	*कंपनी का पंजीकृत पता
१	सहज फैशन्स लिमिटेड	खसरा नंबर १४७४, ग्राम श्रीनगर, तहसील किशनगढ़, अजमेर – ३०५०२५, भारत।

*पता एक्सचेंज के अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध है।

नोट:

अनिवार्य असूचीबद्धता के परिणाम निम्नलिखित हैं:

- उपर्युक्त कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं रहेगी। इसे स्टॉक एक्सचेंज के प्रसार बोर्ड (डिसेमिनेशन बोर्ड) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

- असूचीबद्धता विनियम के विनियम ३४ के अंतर्गत:

१. असूचीबद्ध कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उसके प्रवर्तक तथा उनके द्वारा प्रवर्तित कोई भी कंपनी, सूचीबद्धता की तिथि से दस वर्ष तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाज़ार का उपयोग नहीं कर सकेगी, न ही किसी इक्विटी शेयर की सूचीबद्धता के लिए आवेदन कर सकेगी और न ही प्रतिभूति बाज़ार में किसी मध्यस्थ की भूमिका निभा सकेगी।

२. यदि किसी कंपनी का उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) धनात्मक हो -
क. ऐसी कंपनी तथा डिपॉज़िटरी, प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह द्वारा धारित किसी भी इक्विटी शेयर का हस्तांतरण (बिक्री, गिरवी आदि के माध्यम से) नहीं कर सकेंगे तथा प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह द्वारा धारित समस्त इक्विटी शेयरों पर लाभांश, अधिकार, बोनस शेयर, विभाजन आदि जैसे कॉर्पोरेट लाभ तब तक स्थगित रहेंगे, जब तक ऐसी कंपनी के प्रवर्तक, विनियम ३३ के उप-विनियम (४) के अनुपालन में सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास विकल्प (एग्जिट ऑप्शन) उपलब्ध नहीं करा देते, जिसकी पुष्टि संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की जाए।

ख. अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध कंपनी के प्रवर्तक, पूर्णकालिक निदेशक तथा प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति भी तब तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के पात्र नहीं होंगे, जब तक कि उपर्युक्त खंड (क) में उल्लिखित निकास विकल्प उपलब्ध न करा दिया जाए।

- असूचीबद्धता विनियम के विनियम ३३ के अंतर्गत:

१. जहां किसी कंपनी के इक्विटी शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा असूचीबद्ध किए जाते हैं, वहां वह स्टॉक एक्सचेंज एक या अधिक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता (वैल्यूअर) नियुक्त करेगा, जो असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का उचित मूल्य निर्धारित करेंगे।
२. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं का एक विशेषज्ञ-मंडल (पैनल) गठित करेगा और उप-विनियम (१) के प्रयोजनों के लिए उसी विशेषज्ञ-मंडल (पैनल) में से मूल्यांकनकर्ता(ओं) की नियुक्ति की जाएगी।
३. असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्य, मूल्यांकनकर्ता(ओं) द्वारा सेबी (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के विनियम २० के उप-विनियम (२) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा।
४. कंपनी के प्रवर्तक(कों) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्धता की तिथि से तीन माह के भीतर, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान कर, सार्वजनिक शेयरधारकों से असूचीबद्ध इक्विटी शेयर अधिग्रहीत किए जाएंगे। सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने शेयर अपने पास रखने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।
५. यदि विनियम ३३ के उप-विनियम (३) के अनुसार देय मूल्य का भुगतान विनियम ३३ के उप-विनियम (४) में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर समस्त शेयरधारकों को नहीं किया जाता, तो प्रवर्तक उन सभी शेयरधारकों को, जो अनिवार्य असूचीबद्धता ऑफर के अंतर्गत अपने शेयर प्रस्तुत करते हैं, दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा।

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रस्तावित असूचीबद्धता से प्रभावित या व्यथित हो, **इस सूचना के १५ कार्य दिवसों के भीतर, अर्थात् १० जुलाई २०२६ तक या उससे पहले,** एक्सचेंज की असूचीबद्धता समिति को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति(यों) के पूर्ण संपर्क विवरण (ई-मेल आईडी, पता और फोन नंबर) सहित अभ्यावेदन निम्नलिखित को संबोधित किया जाए:

असूचीबद्धता कमेटी, लिस्टिंग डिपार्टमेंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, सी-१, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ **तथा** ९वीं मंजिल, इंस्पायर, बीकेसी मेन रोड, जी ब्लॉक बीकेसी, पत्थर नगर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र ४०००५१। संपर्क नंबर: +९१ २२ २६५९८१०० (३२०१४), ई-मेल: vgandhi@nse.co.in, delisting@nse.co.in (प्रतिलिपि: dl-insp-enf-delisting@nse.co.in)। अभ्यावेदन अनिवार्य रूप से उपर्युक्त निर्दिष्ट ई-मेल पते पर भेजा जाना चाहिए। कोई भी अनाम अभ्यावेदन मान्य नहीं माना जाएगा। कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि प्रवर्तक(कों)/निदेशक(कों) के विवरण में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर वह उपर्युक्त दूरभाष नंबरों तथा ई-मेल पते पर एक्सचेंज से संपर्क करे।

स्थान: मुंबई **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड**

दिनांक: १८ जून २०२६

Nifty50